न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–102/2015 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर अलवर ।
2. तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर ।

..... अपीलांटान

बनाम

1. काना पुत्र जीता जाति गुर्जर निवासी बिसा का बास तहसील थानागाजी जिला अलवर ।
2. मुरली पुत्र जीता जाति गुर्जर निवासी बिसा का बास तहसील थानागाजी जिला अलवर ।

..... रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–
1. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल अभिभाषक रेस्पो0

::: निर्णय :::

दिनांक :–30.05.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2001 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी /रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी ख0 नं0 135/3 मिन रकबा 4 बीघा जो पूरे नम्बर 28/3 में से ग्राम बीसा का बास तहसील थानागाजी में है जो वादीगण को दिनांक 14.9.1975 को आवंटन हुई जिसका इन्तकाल सं0 33 गैर खातेदार का वादीगण के नाम दि0 25.12.1975 को स्वीकार हो गया जिस पर वादीगण काबिज हैं । आराजी का दखल भी दि0 27.9.1975 को दिया गया था । वादीगण पूरे 4 बीघा पर वक्त दखल से बदस्तूर काबिज है किन्तु नायब तहसीलदार ने सम्वत् 2034 में जमाबन्दी में 29.6.1980 की आज्ञा के अनुसार वादीगण को बजाय 4 बीघा के 2 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार दर्ज कर दिया जो गलत है जबकि वादीगण बदस्तूर पूरे 4 बीघा रकबे पर काबिज है और काश्तकार रहे हैं । नायब तहसीलदार ने 1 बीघा 10 बिस्वा कम करके जो इन्द्राज किया वो गलत है जिसके कायम रहने से वादीगण को नुकसान है । वादीगण

30/5

मुताबिक आवंटन, दखल व गैर खातेदारी के अनुसार 2 बीघा 10 बिस्वा के अतिरिक्त 1 बीघा 10 बिस्वा जो कम की उसके भी खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं । प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकी दी, तब इस गलत इन्द्राज की जानकारी हुई जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को नोटिस दिया जिसकी मियाद भी पूरी हो गई किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की । इस कारण दावा करना लाजिम था । इसलिए वाद वादीगण डिक्री करने का निवेदन किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दि0 31.08.2001 को वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 31.08.2001 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपील के तथ्यों और तहत न्यायालय में रेकार्ड का अवलोकन किया गया । तहत न्यायालय का आदेश दिनांक 31.08.2001 का भी अवलोकन किया गया ।

राजकीय अभिभाषक अपीलांट ने अपनी अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दावा डिक्री करने में अहम गलती की है जबकि रेस्पो0 आराजी ख0 नं0 135/3 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा पर ही काबिज है ना कि 4 बीघा पर । अपीलांट द्वारा अपने उत्तर वाद में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि सम्वत् 2034 की जमाबन्दी, नामान्तकरण सं0 113 के अनुसार जिसमें कुल रकबा 4 बीघा में से 2 बीघा 10 बिस्वा पर कायमी खातेदारी दी गई है । उक्त आराजी साबिक ख0 नं0 135/3 जिसका हाल नम्बर 165 रकबा 0.64 है0 बना है जिसकी किस्म बारानी द्वितीय है में काना, मुरली पि0 जीता गुर्जर जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खाता सं0 4 के अनुसार है ।

बहस में आगे कहा कि नामान्तकरण सं0 33 से ख0 नं0 135 मिन रकबा 4 बीघा, काना, मुरली पिसरान जीता समान भाग गैर खातेदार दर्ज हुआ । मगर नामान्तकरण सं0 133 से ख0 नं0 135/3 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा में काना, मुरली को खातेदार दर्ज किया जाना स्वीकार हुआ । मुताबिक डिक्री के काना, मुरली रेस्पो0 के खातेदारी रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा के स्थान पर 4 बीघा करने से चारागाह के रकबे में 1 बीघा 10 बिस्वा आराजी कम आती है । रेस्पो0 का कब्जा आज भी 2 बीघा 10 बिस्वा पर ही है ना कि 4 बीघा पर । आज भी 1 बीघा 10 बिस्वा चारागाह दर्ज है । अगर चारागाह भूमि पर किसी व्यक्ति का नाजायज कब्जा हो तो वह अतिक्रमी की तारीफ में आता है ।

बहस जारी रखते हुए आगे बताया कि वादी/रेस्पो0 का जितने रकबे पर कब्जा था उतने की उसे खातेदारी मिल चुकी है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 अभिभाषक ने अभिभाषक अपीलांट की बहस का जवाब देते हुए कहा कि अपीलांट ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है । डिले कन्डोन का भी कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया है । केवल राजकार्य में व्यस्त रहना ही कारण अंकित किया है ।

N/2015

बहस में आगे कहा कि विवादित आराजी वादी/रेस्पो0 को आवंटन हुई है जिसका नियमानुसार दखल दिया गया था । तथा वक्त दखल से ही वादी/रेस्पो0 विवादित आराज़ी रकबा 4 बीघा पर कब्जा काश्त है । तहसीलदार ने वक्त खातेदारी प्रदान करते समय जो 1 बीघा 10 बिस्वा का जो रकबा कम किया है, वह ग़लत किया था । तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर उचित निर्णय पारित किया है । इसलिए अपील अपीलांट मियाद बाहर व मैरिट पर खारिज करने का निवेदन किया ।

उन्होंने अपने कथन के समर्थन में आर.आर.टी. 2007 पेज 939, आर.आर.टी. 2009 पेज 488, आर.आर.डी. 1999 पेज 152, आर.आर.टी. 2001 पेज 1105, आर.आर.टी. 2002 पेज 33, आर.आर.टी. 2015 पेज 168, आर.आर.टी. 2006 पेज 1092, आर.बी.जे. 2011 पेज 44, आर.आर.डी. 1969 पेज 231 एवं आर.आर.डी. 1993 पेज 44 पेश की ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी, तहत न्यायालय की पत्रावली, तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तथा पेश कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया । अपीलांट अभिभाषक की बहस पर मनन करते हुए अपीलांट अभिभाषक के द्वारा पेश कानूनी नजीर आर.आर.टी. 2007 पेज 939, आर.आर.टी. 2009 पेज 488 का ससम्मान अवलोकन किया गया । तहत न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.08.2001 की अपील जरिये सरकार दि0 19.11.2015 को पेश की गई । रेस्पो0 अभिभाषक का बहस का मुख्य बिन्दु यह है कि तहत न्यायालय के द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह कानूनी सम्मत एवं रेकार्ड के अनुरूप है । इसलिए मैरिट पर पारित आदेश की अपील सरकार के द्वारा 14 वर्ष बाद पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी के रूप में सरकार से ही रिलीफ चाही गयी थी । इस आधार पर रेस्पो0 अभिभाषक ने मियाद अधिनियम के संबंध में जो कानूनी नजीर आर.आर.टी. 2007 पेज 939, आर.आर.टी. 2009 पेज 488, आर.आर.डी. 1999 पेज 152, आर.आर.टी. 2001 पेज 1105, आर.आर.टी. 2002 पेज 33, आर.आर.टी. 2015 पेज 168, आर.आर.टी. 2006 पेज 1092 की कानूनी नजीरों के रूप में ध्यान आकृर्षित करते हुए बताया कि अपील में मियाद संबंधी प्रावधान है, उनके अनुसार निर्धारित समय में अपील नहीं करने पर अपील में जो डिले किया गया है, वह दिन प्रतिदिन का कारण अंकित करना होता है । अपीलांट ने धारा 5 मियाद का जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, उसके अनुसार केवल राजकार्य में व्यस्त होने के कारण नकल नहीं दी जा सकी और नकल लेते ही अपील करते हुए डिले कन्डोन करने का निवेदन किया है, वह कानून सम्मत नहीं है । जहां तक अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह गुणावगुण पर पारित किया है । रेस्पो0 / वादी को सन् 1975 में विवादित आराजी ख0 नं0 135 मिन में से 4 बीघा आराजी का आवंटन किया गया था । विवादित आराजी रेकार्ड में चारागाह थी । नामान्तकरण सं0 9 से किस्म बदल करके सिवायचक की गई है । नामान्तकरण सं0 33 के अनुसार आराजी ख0 नं0 135/3 में 4 बीघा आराजी का जो आवंटन काना, मुरली पि0 जीता को किया गया है उसके अनुसार गैर खातेदारी दर्ज की गई जिसका नोट जमाबन्दी सम्वत् 2034 में अंकित किया गया परन्तु जमाबन्दी में अंकित 4 बीघा के नोट को काटकर 2 बीघा 10 बिस्वा किया गया और नामान्तकरण सं0 113 से 2 बीघा 10 बिस्वा की ही खातेदारी दी गई, शेष 1 बीघा 10 बिस्वा के लिए वादी/रेस्पो0 के द्वारा तहत न्यायालय में दावा पेश किया गया जिसे तहत न्यायालय ने गुणावगुण के आधार पर डिक्री किया

गया । न्यायालय के मत के अनुसार तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश गुणावगुण पर आधारित है । अपीलांट के द्वारा जो अपील पेश की गई वह 14 वर्ष की देरी के बाद पेश की गई है और डिले को कन्डोन करने के लिए प्रार्थना पत्र के अनुसार ठोस कारण अंकित नहीं किये गये हैं । अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर पर भी काबिल खारिजी के है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय गुणावगुण पर होने एवं अपीलांट द्वारा पेश की गई अपील में 14 वर्ष का डिले कन्डोन किये जाने बाबत ठोस कारण पेश नहीं करने पर एवं रेस्पो0 की कानूनी नजीरें जो माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पेश की गई हैं, के अनुरूप डिले कन्डोन नहीं होने के कारण अपीलांट की अपील काबिल खारिजी के है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2001 यथावत रखी जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/5/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर